418

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्र. : R-3946-II/12 सन्– 2012

1. रामाधीन तनय बोड़ा यादव
2. रामदास तनय रामाधीन यादव
3. श्रीराम यादव तनय रामाधीन यादव

तीनों निवासीगण ग्राम पंचमनगर
तह. चंदला जिला छतरपुर (म.प्र) .... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. हल्की बेवा टीड़ा अहीर
2. राम आसरे तनय बोड़ा यादव
3. पर्वतियां पुत्री बोड़ा यादव
4. नारायण तनय सूरा यादव
5. कमल तनय सूरा यादव
6. कौशिल्या पुत्री सूरा यादव
7. चंदन पुत्री सूरा यादव
8. राजा तनय कलुवा अहीर

समस्त निवासीगण ग्राम पंचमनगर तह. चंदला जिला छतरपुर (म.प्र)

9. शासन म.प्र. .... गैरनिगरानीकर्तागण

मुकेश भार्गव 1-11-12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भ.रा.सं. 1959 निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर म.प्र. के रा.प्र.क्र. 105/निगरानी/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 27/09/2012 से दुखी होकर।

महोदय,

निगरानीकर्तागण सादर निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत करते है –

1. यह कि निगरानीकर्तागण ने न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के समक्ष प्रथम निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के रा.प्र.क्र. 29/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 29/11/11 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसे माननीय अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर ने निगरानीकर्तागण की निगरानी आवेदन को अस्वीकार कर दिया है तथा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर का आदेश यथावत रखा है जिस कारण निगरानीकर्तागण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3946-दो/2012 जिला छतरपुर रामधीन विरूद्ध हल्की व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 105/निगरानी/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-11-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वंरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 25/01/19
सदस्य